सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2016/00162

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 54/2016

1. देवीलाल पुत्र रामूराम निवासी वार्ड नम्बर 02, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. आदराम पुत्र श्री बनवारीलाल निवासी वार्ड नम्बर 01, मिर्जेवाला तहसल व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचाायत मिर्जेवाला, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मिर्जेवाला पंचायत समिति श्रीगंगानगर ।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री तिलोकाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. राजाराम पुत्र श्री राधेराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. भीमसैन सहारण पुत्र भरूराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 7, मैन मार्किट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी भीमसैन जाट निवासी वार्ड नम्बर 7, मैन मार्किट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता 4 ता 5
3. श्री मुकेश सिन्धी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1

:: आदेश :: **दिनांक :– 15.01.2020**

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.1985 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 3 के हक में क्रमशः पट्टा संख्या 966, भूखण्ड संख्या 13 अंकित करते हुये व पट्टा संख्या 969 भूखण्ड संख्या 16 व 17 अंकित करते हुये जारी किया गया है बिना अधिकार क्षेत्र के आदेश पारित कर गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में निशुःल्क विक्रय विलेख गलत रूप से जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आदेश दिनांक 21.08.1985 पारित करने से पूर्व ना तो जिस स्थान पर आवंटन किया गया है उस स्थान के सम्बन्ध में जांच की गयी की उक्त भूमि आबादी भूमि है या नहीं बल्कि जिस जगह पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को आवंटन किया गया है वह भूमि राज्य सरकार द्वारा अन्य जुताई हेतु आरक्षित की हुई है जिससे ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं करवाया ना ही आवंटन से पूर्व इस जगह का कोई नक्शा ही पंचायत राज अधिनियम के अधीन पारित करवाया इसलिये उक्त आवंटन प्रथम दृष्टया ही ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में आवंटन करने से पूर्व ना तो कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया ना ही ग्राम पंचायत की मिटिंग बुलाई गयी ना ही कोई मौका मुआयना किया जाकर नक्शा मौका बनाया गया ना ही कोई पंचों की कमेटी बनायी गयी। पट्टा पत्रावली का संधारण नहीं किया गया केवल मात्र विक्रय विलेख पर सरपंच द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर करके विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में उक्त विक्रय विलेख जारी करके दे दिये गये जिनमें पंचायत राज

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिनियम 1953 के नियमों की कतई पालना नहीं की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जो कि काफी चतुर व्यक्ति है जो कि अपने नाम जारी इन विक्रय विलेखों को किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखकर लोन प्राप्त कर सकते है जिससे राज्य सरकार की इस भूमि को गलत तरीके से रहन किया जा सकता है । अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में जारी भूखण्डो की जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा उनको कहा गया कि आपने इन भूखण्डो के गलत तरीके से पट्टे जारी करवाये है आपको जिस जगह पर आवंटन किया गया है वह जगह राज्य सरकार द्वारा अन्य जुताई हेतु आरक्षित की हुई है इसलिये आप इन भूखण्डो को पटटो सहित अपनी स्वेच्छता से ग्रम पंचायत के सुपुर्द कर दे किन्तु दिनांक 29.11.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पट्टो को दिखाकर ग्राम पंचायत के सुपुर्द करने से इन्कारी हो गये और कहा कि जब तक उक्त विक्रय विलेख हमारे हक में है हम तो इसका हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करेगें। ग्राम पंचायत के सुपुर्द नहीं करेगें इसी वजह से उक्त भूखण्डो के पट्टो के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 1 से पट्टो की फोटो प्रतियां प्राप्त कर बिना किसी देरी के निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी अन्दर मियाद है। अतः निगरानी अन्तर्गत नियम 272 पंचायत राज नियम 1953 व धारा 97 पंचायत अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.08.1985 को पट्टा संख्या 966, 969 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की हकमें गलत तरीके से जारी किये गये को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने गैरनिगरानी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि अप्रार्थीयान भीमसैन सहारण व सुनीता देवी पत्नी भीमसैन जिनको प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पर पक्षकार बनाया गया है। पट्टाजात जिनको निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है के नम्बर 16 व 17 अंकित किये गये है जबकि अप्रार्थी जगदीश के नाम जो पट्टा जारी किया गया का नम्बर 17 ना होकर 13 है जैसा कि पट्टा की पुश्त पर दर्ज किया हुआ है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। जहां तक अहाता संख्या 16 का प्रश्न है तो यह अहाता राजाराम के नाम पट्टा जारी किया गया चूंकि जिस रकबा को कृषि भूमि होने का कथन किया गया है तथा जिसमें अहाता स्थित है दरअसल में वह ग्राम पंचायत मिर्जेवाला के अधिकार क्षेत्र में होने से तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा आबादी आरक्षित करवाकर ही पट्टे जारी किये जिसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है। अहाता संख्या 16 जो राजाराम को जरिये पट्टा दिनांक 21.08.1985 को दिया गया पर उसका कब्जा चला आया तथा उसके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 24.05.2008 के सुरेन्द्र कुमार पुत्र कश्मीरीलाल एवं राहुल कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार को विक्रय किया गया, बैयनामा उप पंजीयक , श्रीगंगानगर से पंजीयन किया हुआ है तथा बैयनामा में भी कृषि भूमि ना दर्ज होकर अहाता संख्या 16 पैमाइशी 30X45 दर्ज है, बैयनामा की नकल वास्ते मुलहायजा पेश है। इन क्रेताओं ने उपरोक्त भू–खण्ड पर गृह फाईनेस लिमि0 नेताजी मार्ग 44 के ब्लॉक, नजदीक टण्डन लेबोट्ररी श्रीगंगानगर से रजिस्टर्ड बैंयनामा के आधार पर फाईनेंस सुविधा प्राप्त की तथा ऋण राशि चुकता ना करने पर उपरोक्त फाईनेंस कम्पनी लिमि0 ने उपरोक्त भू–खण्ड संख्या 16 का कब्जा प्राप्त किया तथा मालिक काबिज होने के कारण जरिये सेल सर्टिफिकेटस नियम 9(6) इसका बैचान हम अप्रार्थीयान किया गया तथा यह सेल सर्टिफिकेट भी उपपंजीयक, श्रीगंगानगर से दिनांक 27.07.2016 को रजिस्टर्ड हुआ, नकल वास्ते मुलहायजा पेश है। इस प्रकार बैयनामा व सेल सर्टिफिकेट जो कि उपपंजीयक श्रीगंगानगर से रजिस्टर्ड है के सम्बन्धा में जब तक सिविल न्यायालय द्वारा इनको निरस्त नहीं किया जाता अथवा नहीं करवाया जाता तब तक अहाता संख्या 16 के पट्टा को निरस्त नहीं किया जा सकता, ना ही श्रीमान न्यायालय को किसी रजिस्टर्ड दस्तावेजात की वैधता को समाप्त करने का अधिकार है। अतः पट्टा सही जारी हुआ है। पट्टा सन् 1985 का है जबकि निगरानी 2016 में पेश की गई है, जो कि करीब 33–34 साल बाद पेश की

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गई है जो कि जाहिरा तौर से मियाद बाहर है, प्रार्थीयान ने दिनांक 29.11.2016 को सर्वप्रथम जानकारी होने का कथन किया है जबकि प्रार्थीयान अपने आपको मिर्जेवाला के स्थायी निवासी करदाता होने का कथन करके आये है। इस प्रकार यह कहनाा कि दिनांक 29.11.2016 को जानकारी हुई, स्पष्ट ही गलत है। प्रार्थीयान ने तो जानकारी किससे हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई का कोई कथन किया है, ना ही सोर्स ऑफ नॉलेज के सम्बन्धा में कोई शपथ–पत्र दिया है, जिसने यह बताया हो कि उसने कब, किस तारीख को, कैसे प्रार्थीयान को बताया जबकि अहाता संख्या 16 मौके पर निर्मितशुदा है तथा प्रार्थीयान को बताया जबकि अहाता संख्या 16 मौके पर निर्मितशुदा है तथा प्रार्थीयान अरसा दराज से देखते चले आ रहे है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 25.07.2017 को एक प्रमाण–पत्र जारी किया हुआ है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि उपरोक्त स्थान मुरब्बा नम्बर 37 में आबादी बसी हुई है क्योंकि पंचायत में भूमि आरक्षित होने का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा तथा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हो पाया, इसी कारण अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, मौके पर जो आबादी बसी हुई है, उनमें करीब 52 घर जिनकी सूची की फोटो कॉपी सलंग्न है, आबाद है मगर अन्य किसी के पट्टा को किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गलत रंजिश के कारण ही हमें तंग परेशान करने के लिए निगरानी पेश की गई है जो कि खारिज करने योग्य है। यदि भूमि आरक्षित नहीं होती तो पंचायत द्वारा भू–खण्ड नहीं काटे जाते अथवा उसी समय पट्टाजात का विरोध किया जाकर चुनौती दी जाती। इस प्रकार अहाता संख्या 16 के रजिस्टर्ड बैयनामा व सेल सर्टिफिकेट को अब चुनौती नहीं दी जा सकती। निगरानी तभी अन्दर मियाद मानी जा सकती है, जब सही जानकारी के बारे में बताया जावें मगर जब प्रार्थीयान की देखादेखी जानकारी से मुरब्बा नम्बर 37 में आबादी बसी हुई है तो यह स्पष्ट है कि उनको शुरू से सही जानकारी रही है। अतः निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज करने योग्य है। लिहाजा लिखित बहस है कि निगरानीकर्तागण की निगरानी खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को रूक–रूक कर बार–बार आवाजे लगाई गई उपस्थित नहीं।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत मिर्जेवाला के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 19 ता 21 कुल 3.163 हैक्टर भूमि पर ग्राम पंचायत मिर्जेवाला द्वारा जारी पट्टा संख्या 966, 969 जो जारी किया गया वह गलत जारी किया गया है क्योंकि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का किला नम्बर 01 भूमि राज्य सरकार द्वारा अन्य जुताई हेतु आरक्षित की हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में निशुःल्क विक्रय विलेख गलत रूप से जारी किया गया है। उक्त विवादित अहाता को अप्रार्थीगण द्वारा आगे रजिस्टर्ड बैयनामा जो उपपंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है जिस पर गृह फाईनेस लिमि0 नेताजी मार्ग 44 के ब्लॉक, नजदीक टण्डन लेबोट्री श्रीगंगानगर से लोन भी स्वीकृत करवाया गया। उक्त विवादित प्लाटो अप्रार्थीगण संख्या 04 एवं 05 द्वारा जरिये निलामी क्रय किया गया। जिला परिषद श्रीगंगानगर के पंचायत प्रसार अधिकारी श्रीगंगानगर अप्रार्थी राजाराम पुत्र राधेराम निवासी मिर्जेवाला के अहाता संख्या 16 साईज 30X45 जो उसके नाम से पट्टा जारी है की जांच रिपोर्ट में भी अंकित किया है कि मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 01 में अहाता संख्या 16 स्थित है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में राज रकबा अन्य (जुताई हेतु) दर्ज होने के कारण उक्त अहाता की पैमाईश नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट की है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.08.1985 को पट्टा संख्या 966, 969 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की हकमें गलत तरीके से जारी किये गये को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम पंचायत मिर्जेवाला के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 19 ता 21 कुल 3.163 हैक्टर भूमि पर ग्राम पंचायत मिर्जेवाला द्वारा जारी पट्टा संख्या 966, 969 जो जारी किया गया वह गलत जारी किया गया है क्योंकि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का किला नम्बर 01 भूमि राज्य सरकार द्वारा अन्य जुताई हेतु आरक्षित की हुई है। जिला परिषद श्रीगंगानगर के पंचायत प्रसार अधिकारी श्रीगंगानगर अप्रार्थी राजाराम पुत्र राधेराम निवासी मिर्जेवाला के अहाता संख्या 16 साईज 30X45 जो उसके नाम से पट्टा जारी है की जांच रिपोर्ट में भी अंकित किया है कि मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 01 में अहाता संख्या 16 स्थित है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में राज रकबा अन्य (जुताई हेतु) दर्ज होने के कारण उक्त अहाता की पैमाईश नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट की है। चूंकि उक्त भूमि जुताई हेतु आरक्षित थी न कि किसी गांव आबादी हेतु। चूंकि विवादग्रस्त भूमि कोई आबादी भूमि नहीं है इसलिए ग्राम पंचायत को उक्त भूमि आवासी पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नही है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मिर्जेवाला को निर्देशित किया जाता है कि मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 01 में जितने पट्टे जारी किये गये है उनकी जांच कर नियमानुसार निरिस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लावें। आदेश की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत मिर्जेवाला को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 15.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर